दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विज़िट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 26 सितम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 01

क्या हो पाएगी जनसुनवाई निरस्त ?

क्या महाजेंको से जल जंगल जमीन बचा पाएगें तमनार के अनुसूची 5 में आने वाले आदिवासी

» सामाजिक न्याय संघ ने जन- मानस की भावना के अनुरुप राज्यपाल को प्रेषित किया जनसुनवाई निरस्त करने का आवेदन » जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया आवेदन

लगातार

दैनिक न्याय साक्षी में दिनांक 23 सितंबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था...

न्याय साक्षी/रायगढ़

अपने आवेदन में सामाजिक न्याय संघ के विधिक सलाहकार तथागत श्रीवास्तव अधिवक्ता माननीय उच्च-न्यायालय ने बताया कि, दिनॉक 22/09/2019 को एक बैठक तमनार में आयोजित की गई थीं। उसमें महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (महाजेंको) के द्वारा ओपन कॉस्ट एवं अंडर ग्राउंड कोयला खदान स्थापना करने हेतु दिनॉक 27/09/2019 को ''जनसुनवाई'' करने बाबत् अपेक्षा की गई है, जिसके लिए उक्त अनुसूचित क्षेत्र के लगभग समस्त ग्रामीण अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और इस बैठक में भी उक्त दिनॉक को लगभग 250 पुरुष एवं 300 के लगभग महिलाएं उपस्थित थीं। उसी बैठक में शासन से मान्यता प्राप्त संस्था ''सामाजिक न्याय संघ'' के विधिक सलाहकार तथागत श्रीवास्तव भी शामिल थें, जिनको जनचेतना मंच के राजेश त्रिपाठी जी ने आमंत्रित किया था।

उक्त बैठक में यह बताया गया कि तमनार विकासखंड में करीब 50 से अधिक उद्योगों की स्थापना अब तक की जा चुकी है, जिनमें से किसी भी उद्योग ने ग्रामीण जनता के साथ किए गए अपने वायदे को नहीं निभाया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस कारण से उक्त क्षेत्र की समस्त भूमि कृषि के लिए उपयोगी नहीं रह गई, और ग्रामीण जीवनस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई, अतः विकास का नाम लेकर स्थापित किए गए उद्योगों ने केवल प्रदूषण ही बढाया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, इससे शासन एवं प्रशासन के विरुद्ध ग्रामीण जनता का विरोध मुखर है, और असंतोष व्याप्त है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, दिनॉक 27/09/2019 की ''जनसुनवाई'' को कराने के लिए प्रशासन इस कदर प्रेरित एवं उत्तेजित है कि ''जनसुनवाई'' को किसी भी प्रकार से अंजाम देकर विरोध करने वाले लोगो को बेदखल कर सकता है, हानि पहुॅचा सकता है,, इससे तीव्र असंतोष एवं विरोध होगा, और लोकतंत्र को खतरा हो सकता है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, भारतीय संविधान में निवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, और संविधान में यह भी उल्लेख ''कोई भी भारतीय निवास किए जाने हेतु स्वतंत्र है, और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें इस अधिकार का उलंघन किया जा रहा है'' जो कि न्यायोचित नहीं है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, बैठक में इस संदर्भ को भी उठाया गया कि इस कम्पनी की स्थापना होने से तमनार क्षेत्र के लगभग सारे ग्राम नष्ट हो जाएंगे और भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण जनता, जहॉ वर्षो से निवासरत् है, वहॉ से उनको विस्थापित कर,, वहॉ उद्योंग की स्थापना कर दी जाए, और ग्रामीण जनता का विस्थापन भी ऐसे किसी क्षेत्र में कर दिया जाए, जहॉ कि उनका रहना-खाना एवं बसर करना ही दूभर हो जाए, यह अन्याय है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, इस उद्योग के स्थापित होने से मुख्य रुप से रोडोपाली, सराईटोला,

चितवाही, डोलेसरा, पाता, कुंजेमुरा, गारे, टिहलीरामपुर, लिबरा, झिंकाबहल, सारसमाल, बजरमुड़ा आदि गॉव, गॉव न रहकर खदान में तब्दील हो जाएंगे, जो कि एक त्रासदी के रुप में जाना जाएगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, इस संदर्भ में यह बेहद प्रमुख रुप से आपके समक्ष रखा जाना चाहिए कि किसी भी कम्पनी के द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योग के पूर्व सरकार के साथ एक ''एम0ओ0यू0'' हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसे हस्ताक्षरित किए जाने के पूर्व सरकार को चाहिए कि वो पॉचवी अनुसूची में आने वाले अनुसूचित जाति-जनजातिय क्षेत्र में, पेसा (PESA) कानून के तहत् मुनादी कराए, और ग्रामवासियों को, लगने वाले उद्योग के सम्बंध में सूचना देवे, और इस ग्रामसभा में शासन की ओर से श्रीमान् कलेक्टर महोदय अथवा उनके द्वारा नियुक्त कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी उपस्थित होवे। इस पेसा (PESA) कानून का पालन एवं अनुपालन किए बिना ही एम0ओ0यू0 को हस्ताक्षरित कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है, अतः केवल इसी एक बिन्दु पर उक्त ''जनसुनवाई'' को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि,

ग्रामसभा से वन अधिकार अधिनियम के तहत् अप्रेल 2016 में फारेस्ट डायवर्शन हेतु एन0ओ0सी0 की मांग की गई थीं, जिसे समस्त प्रभावित ग्रामसभा के द्वारा निरस्त कर के भेज दिया गया था, जिसके बाद भी खदान हेतु सरकार के द्वारा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर ''जनसुनवाई'' कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता अतः इसे निरस्त किया जाना उचित होगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, प्रभावित समस्त क्षेत्र पेसा (PESA) कानून के तहत् संरक्षित हैं, अतः संविधान की पॉचवी एवं छठवी अनुसूची के तहत् आने वाले ग्राम एवं ग्रामीण को बिना ग्रामसभा की अनुमति के उद्योगों के लिए भूमि देना सरकार के द्वारा किए जा रहे अनुचित कार्य को दर्शाता है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, इस उद्योग के लगाए जाने से लगभग 33000 हेक्टेयर जंगल एवं कृषि भूमि नष्ट होगी, और करीब 52 ग्राम एवं उनमें निवासरत् ग्रामीण विस्थापित होगें, इससे किसान प्रभावित होंगे और साथ ही साथ वे आदिवासी जो कि वनोपज पर ही आधारित होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नष्ट होंगे और इससे आदिवासी संस्कृति प्रभावित होगी, नष्ट होगी।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, यह भी कहा गया कि, इस क्षेत्र तमनार में भारी प्रदूषण की स्थिति है, वायु , पानी एवं मिट्टी पूर्णतः स्तरहीन हो चुकी हैं, विभिन्न प्रकार की बिमारियों से पूरा क्षेत्र प्रभावित है, परेशान है,, अतः अब और उद्योग की स्थापना का विरोध किया जा रहा है, जिसे सरकार एवं शासन मैंनेज़ करने में लगें हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, एन0जी0टी0 (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश पर कोयला मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय के उच्च-स्तरीय जॉच दल ने इस क्षेत्र की पर्यावरण सम्बंधी जॉच की है, जिसमें वृहद प्रदूषण की पुष्टि हुई है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, पी0एच0ई0 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि पूरे तमनार का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, और यह सब पूर्व में लगे उद्योगों के द्वारा लगातार खनन एवं पानी खींचे जाने से हो रहा है, अब कोई नया उद्योग यदि फिर स्थापित होगा तो यह क्षेत्र पूर्णतः नष्ट हो जाएगा जो कि न्यायोचित नहीं होने से ग्रामवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, धारा 170(ख) भू-राजस्व संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है, और इस तरह के कई सारे मुकदमें लंबित हैं, और कई पर अभी तक जॉच भी नहीं की गई है, जिससे भी क्षेत्र में काफी असंतोष है, और आदिवासियों की जमीनों को कम्पनी को दिए जाने के कारण विरोध हो रहा है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, वन अधिकार अधिनियम के तहत् इस पूरे क्षेत्र में निजी वन अधिकार दावे लंबित हैं, जिन पर कार्यवाही की जानी चाहिए इस कारण भी पूरे क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, एस0ई0ए0 (SEA) स्ट्रेटिजिक एन्वायरमेंटल एसेस्मेंट को पूर्ण किए बिना ही ई0आई0ए0 (EIA) एन्वायरमेंटल इम्पेंक्ट एसेस्मेंट जारी कर दिया गया जो कि न्यायोचित नहीं है, तत्काल प्रभाव से ''जनसुनवाई'' को स्थगित किया जाना चाहिए।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा WP(PIL) No.231/2013 में दिनॉक 06/03/2019 को समता एवं अन्य 01 विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 02 अपने निर्णय में लेख किया है कि -- In view of the matter, a bare reading of section 4 of PESA Act it is clear that the proceedings issued are inconsistent with the feature enumerated in clauses (a) to (o) of section 4 of PESA Act and such proceedings are liable to set-aside.-- जिसे पालन किया जाना आवश्यकता प्रतीत होने से इस ''जनसुनवाई'' का निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा WP(C) No.99/2013 में दिनॉक 21/04/2014 को गोवा फाउंडेशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में प्रदत्त अपने निर्णय मे ग्रामीण जनता के पक्ष में निर्णय दिया है, अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के आधार पर ''जनसुनवाई'' को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा WP(Civil) No.180/2011 में दिनॉक 18/04/2014 को ओड़िसा माईनिंग कॉरपोरेशन विरुद्ध मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट एवं फारेस्ट एवं अन्य में प्रदत्त अपने निर्णय मे ग्रामीण जनता के पक्ष में निर्णय दिया है, जिसे नियमगिरी निर्णय भी कहते हैं, अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के आधार पर ''जनसुनवाई'' को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा WP(Civil) No. 114 of 2014 में दिनॉक 02/08/2017 को कॉमन काज़ विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में प्रदत्त अपने निर्णय मे ग्रामीण जनता के पक्ष में निर्णय दिया है, अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के आधार पर ''जनसुनवाई'' को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रेषित आवेदन में बताया गया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा WP(Civil) No.381 of 1997 में दिनॉक 09/07/2019 को हरधन रॉय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में प्रदत्त अपने निर्णय मे ग्रामीण जनता के पक्ष में निर्णय दिया है, जिसे झरिया केस निर्णय भी कहते हैं, अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के आधार पर ''जनसुनवाई'' को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

सामाजिक न्याय संघ ने आशा व्यक्त की है कि इस मामले को शासन एवं प्रशासन के द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा ऐसा प्रतीत होता है।

प्रधानमंत्री मोदी 'ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड' से सम्मानित

» स्वच्छ भारत अभियान

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर को 'ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र से इतर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाजा गया।

प्रधानमंत्री ने यह सम्मान स्वच्छ भारत अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करने वाले और इसे अपने दैनिक जीवन का अंग

बनाने वाले भारतीयों को समर्पित किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी भारत की जनता की बदौलत है। उन्होंने इसे अपना आंदोलन बना लिया और वांछित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित की।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस सम्मान को प्राप्त करने को निजी स्तर पर महत्वपूर्ण क्षण करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जब 130 करोड़ भारतीय कोई शपथ लेते हैं तो किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले पांच वर्षों में 11 करोड़ की रिकॉर्ड संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया। इस मिशन से देश के गरीबों और महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के अलावा 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण ने गांवों में आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन भी दिया। वैश्विक स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने को तैयार है ताकि स्वच्छता की कवरेज बढ़ाने की दिशा में सामूहिक प्रयास किये जा सकें।

मिग-21 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय वायु सेना का मिग-21 टाइप-69 प्रशिक्षण विमान ग्वालियर के पास आज लगभग 10.00 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक नियमित मिशन पर था और उसने वायु सेना स्टेशन ग्वालियर से उड़ान भरी थी। यह विमान लैंडिंग का प्रयास करते समय लगभग 6 एनएम दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान के दोनों पायलटों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और बचाव के लिए गए हेलीकॉप्टर द्वारा वापस लाया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है।

खादी को वैश्विक ब्रांड बनाने की पहल होनी चाहिएःगडकरी

» डिज़ाइन घर खादी को आधुनिक बनाने में मदद करेंगे

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ताकि खादी संस्थान बाजार मांग के अनुसार समय के रूझान के अनुरूप डिजाइन विकसित कर सकें। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज इस संदर्भ में तौर-तरीकों पर विचाक करने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एमएसएमई सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा, वस्त्र सचिव रवि कपूर, खादी और ग्रामद्योग आयोग के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना, जानी-मानी डिजाइनर सुत्रह्यु बेरी, रोहित बल, जे.जे. वलाया, राघवेन्द्र राठौर तथा एमएसएमई और वस्त्र

मंत्रालय, के.वी.आई.सी., राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएफटी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

गडकरी ने कहा कि खादी के उत्पाद और बिक्री को अधिक से अधिक बढ़ाने और इसे वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए डिजाइन को परम्परा से समझौता किए बिना आधुनिक बनाने की जरूरत है। उत्पाद डिजाइन को उपभोक्ताओं की पंसद और मांग से जोड़ा जाना चाहिए और इसमें स्थानीय, क्षेत्रीय वरीयताओं और मौसम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रस्तावित डिजाइन घर खादी संस्थानों को बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद विकसित करने में मदद करेंगे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लागू होगा ईआरपी

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग-सीपीडब्ल्यूडी के कामकाज में संशोधित संगठनात्मक ढांचे के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप काफी सुधार होने की संभावना है। सरकार ने सीपीडब्ल्यूडी में ईआरपी को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे अपने क्रियाकलाप में आमूल परिवर्तन कर सके और बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही, शीघ्र और प्रभावी निर्णय प्रक्रिया, ग्राहक संपर्क और संतुष्टि में सुधार होने के साथ-साथ उच्च स्तर की उत्पादकता और दक्षता को अनलॉक करने के लिए इसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। नया परिणाम केंद्रित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली पहले ही तैयार की जा चुकी है और विभाग का पुनर्गठन भी किया जा चुका है।

भारत, जापान और अमरीका के बीच मालाबार अभ्यास आज से

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत, जापान और अमरीका की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय समुद्रीय अभ्यास मालाबार के 23वें संस्करण का आयोजन 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के तट के समीप होने जा रहा है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और निर्मित किये गए भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन पोत, बहु-उद्देश्यीय निर्देशित मिसाइल युद्धपोत सहयाद्री तथा

एएसडब्ल्यू कॉर्वेट किलतान पर सवार होकर रियर एडमिरल सूरज बैरी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग पूर्वी बेड़ा, आज सुबह सासेबो पहुंचे। युद्धपोतों के अलावा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी81' भी इस अभ्यास के लिए जापान पहुंचा है। अमरीकी नौसेना का प्रतिनिधित्व लॉस एंजेलिस-क्लास अटैक सब्मरीन यूएसएस मैक्कैम्बेल और लंबी दूरी के सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी8ए' कर रहे हैं। जेएमएसडीएफ अपने इजुमो क्लास हेलिकॉप्टर डेस्ट्रॉयर जेएस कागा, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जेएस सामीदारे और छोकाई तथा लंबी दूरी का सामुद्रिक गश्ती लड़ाकू विमान 'पी1' के साथ भाग ले रही है।